कार्य योजना

अनुसूचित जाति–जनजाति बाहुल्य ग्रामों में कृषि विकास कार्यक्रम

वर्ष 2019–20

(राज्य सैक्टर)

योजना की धनराशि– रू0 400 लाख

कृषि विभाग, उत्तराखण्ड

अनुसूचित जाति/जनजाति बाहुल्य ग्रामों में कृषि विकास कार्यक्रम 2019–20

योजना की पृष्ठभूमि–

विगत वर्षों में कतिपय योजनाओं के अंतर्गत अनुसूचित जाति–जनजाति उपयोजनाओं के अंतर्गत धनराशि की व्यवस्था की जाती रही है।

योजनाओं के लिये पृथक्–पृथक् लेखा शीर्षकों में बजट व्यवस्था होने के कारण यह अनुभव हुआ है कि कार्यक्रमों का क्रियान्वयन अनुसूचित जाति/जनजाति बहुल ग्रामों में एकीकृत रुप से नहीं हो पाया है, तथा समूह की ऐसी आवश्यकतायें जो उपरोक्त कार्यक्रमों से आच्छादित नहीं होती हैं, का लाभ उन्हें नहीं मिल पाया है, जिसके कारण अनुसूचित जाति जनजाति बहुल ग्रामों के संतृप्तीकरण की स्थिति नहीं आई है. अतः यह आवश्यक हो गया है कि अनुसूचित जाति बहुल ग्रामों के विकास की रणनीति को पुनरीक्षित करते हुये नये सिरे से योजना का गठन किया जाय जो बारहवीं पंचवर्षीय योजना के लिये विकास का मुख्य आधार बने। विगत वर्ष 2018–19 में 40 अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्राम तथा 07 अनुसूचित जनजाति बाहुल्य ग्राम क्रमशः रू0 200.00 लाख तथा रू0 50.00 लाख की बजट व्यवस्था से लाभान्वित किये गये है।

यह भी उल्लेखनीय है कि भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति उपयोजना के लिये कुल बजट का 18 प्रतिशत एवं 3 प्रतिशत व्यवस्था करने हेतु प्रत्येक वर्ष निदेशित किया जाता है. अनुसूचित जाति जनजाति के किसानों को वास्तविक रुप से लाभान्वित करने हेतु यह आवश्यक है कि भारत सरकार के योजना आयोग की गाईडलाइन्स के आलोक में, अनुसूचित जाति जनजाति बाहुल्य ग्रामों के विकास की योजना को नये सिरे से गठित करते हुये कार्यक्रमों का सम्पादन सुनिश्चित कराये जा रहे है।

उद्देश्य–

अनुसूचित जाति/जनजाति बाहुल्य चयनित ग्राम का कृषि विकास कार्यक्रमों से संतृप्तीकरण करते हुये पूर्ण विकास करना।

क्षेत्र आच्छादन–

(1) अनुसूचित जाति के मामले में बहुल ग्राम का चयन करते हुये अधिक जनसंख्या वाले ग्राम को सबसे पहले लिया जायेगा. प्रत्येक विकासखण्ड से एक गॉव के चयन का प्रयास किया जायेगा. समाज कल्याण विभाग द्वारा जारी अनुसूचित जाति बहुल ग्रामो की विवरणिका के आधार पर प्रत्येक विकासखण्ड से अनुसूचित जाति/जनजाति बाहुल्य ग्रामों का चयन किया जायेगा। यदि आवश्यक हो तो इनसे भिन्न अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों का चयन किया जा सकेगा. जनपद के अंतर्गत बहुत अधिक जनसंख्या वाले गॉवों को वार्ड संख्या के आधार पर छोटे छोटे समूहों में बॉटा जा सकेगा. आगामी वर्षों में नये गॉव का चयन किया जायेगा।

(2) जिला योजना के लिये चयनित ग्राम को इस योजना के अन्तर्गत चयनित नहीं किया जायेगा।

विकास की प्रविधि –

1. चयनित ग्राम में उपलब्ध स्वयं सहायता समूह पी0आर0आई0, फार्मर्स इन्ट्रेस्ट ग्रुप्स यदि गठित हों तो उनकी सहायता से चयनित ग्राम की आवश्यकताओं का अध्ययन करते हुये एक्शन प्लान तैयार किया जायेगा अन्यथा ग्राम स्तर पर समूह का गठन आवश्यक रुप से करते हुये एक्शन प्लान के आधार पर कार्यक्रम सुनिश्चित किये जायेंगे।
2. एक्शन प्लान समूह की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये तैयार किया जायेगा तथा योजना आयोग भारत सरकार की संस्तुतियों के आधार पर समूह को निशुल्क पैकेज उपलब्ध कराया जायेगा।
3. चयनित ग्रामों को उपरोक्त कार्यक्रमों से एकमुस्त लाभान्वित करने की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी ताकि समूह का पूर्ण विकास हो सके. अगले वित्तीय वर्ष में नये गॉव का चयन किया जायेगा।
4. चयनित ग्रामों की एक्शन प्लान में केन्द्रपोषित योजनाओं से डवटेलिंग की जायेगी तथा व्यक्तिगत लाभ के लिये किसानों को केन्द्रपोषित योजनाओं का लाभ लिये जाने हेतु प्रेरित किया जायेगा।

प्रस्तावित वित्तीय लक्ष्य

5. इस कार्यक्रम के लिये वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिये अनुसूचित जाति उपयोजना में रू0 250.00 लाख तथा जनजाति उप योजना के अंतर्गत रु0 150.00 लाख की धनराशि की बजट व्यवस्था की गयी है।

प्रस्तावित भौतिक उपलब्धी

6. वर्तमान वित्तीय वर्ष में लगभग 950 परिवार लाभान्वित किये जा सकेंगे।

कार्यक्रमों का नियोजन एवं क्रियान्वयन

7. जनपद स्तर पर गॉवों का चयन करते हुये उनका एक्शन प्लान तैयार कर निदेशालय को उपलब्ध कराया जायेगा, जिसके आधार पर वित्तीय स्वीकृतियॉ निर्गत करायी जायेंगी।

कार्यक्रमों का अनुश्रवण, सत्यापन एवं मूल्यांकन

8. मंडल स्तर पर मंडलीय अधिकारियों द्वारा प्रत्येक माह प्रगति का अनुश्रवण अनिवार्य रुप से किया जायेगा, तथा प्रत्येक माह एक चयनित ग्राम में संपादित कार्यों का भौतिक सत्यापन सुनिश्चित किया जायेगा।
9. समय–समय पर संपादित कार्यों के मूल्यांकन की व्यवस्था सुनिश्चित करायी जायेगी, जिससे मूल्यांकन की संस्तुतियों के आधार पर योजना की उपादेयता को बढ़ाया जा सके।

कार्यक्रमों के संपादन के संदर्भ में विशिष्ट मार्गनिर्देश

10. कार्यक्रम केवल समाज कल्याण, नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन द्वारा प्रकाशित उत्तराखण्ड में अनुसूचित जाति की 40 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या वाले ग्रामों की सूची (2011 की जनगणना अनुसार), ब्लू बुक, तथा अनुसूचित जनजाति की 40 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या वाले ग्रामों की सूची (2011 की जनगणना अनुसार), पीली बुक के अनुसार चयनित ग्रामों में ही कार्य संपादित किये जायेंगे। ग्रामों का मिलान उक्त संदर्भित ब्लू एवं यल्लो बुक से ना हो पाने की स्थिति में उत्तरदायित्व संबन्धित कृषि एवं भूमि संरक्षक अधिकारी तथा जनपदीय अधिकारी का होगा।
11. कार्यक्रम केवल चयनित ग्रामों में जिनकी कार्य योजना तैयार की गयी है, तथा अनुमोदनार्थ प्रस्तुत की गयी है, में ही संपादित किये जायेंगे।
12. कार्यक्रम अनुसूचित जाति/जनजाति के लाभार्थ प्रस्तावित है, अतः इस कार्यक्रम से चयनित ग्राम के शत प्रतिशत अनुसूचित जाति जनजाति के कृषक लाभान्वित किये जायेंगे।
13. आवश्यकतानुसार केन्द्रपोषित योजनाओं के साथ कार्यक्रमों की डबटेलिंग करते हुये कार्यक्रम संपादित किये जायेंगे।
14. निवेशों एवं यंत्रों का वितरण विवेकपूर्ण ढंग से किया जायेगा, जिससे चयनित ग्राम के अनु0जा0–जनजाति कृषक जो ग्राम में निवास करते हैं तथा कृषि कार्य से जुड़े हैं, सभी इस कार्यक्रम से लाभान्वित हो सकें।
15. समूह को वितरित किये जाने वाले यंत्र के संबंध में समूह से कृषि विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर अनुबन्ध कराया जायेगा कि वे यंत्र/उपकरण/मशीनरी का समूह के लिये उपयोग करेंगे और उसका विक्रय नहीं करेंगे।
16. निवेशों एवं सामग्री के वितरण से संबंधित कार्य पूर्ण पारदर्शी होंगे तथा जहॉ तक संभव हो जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में सुनिश्चित कराये जायेंगे।
17. मृदा एवं जल संरक्षण संबंधी स्थायी प्रकृति के कार्य ही संपादित किये जायेंगे।. कच्चे तालाब एवं खंतियों का खुदान नहीं किया जायेगा, किन्तु वनस्पतिक घेरबाड, चारा/फल प्रजाति के पौधों का वितरण एवं घासरोपण का कार्य किया जा सकता है।
18. सिंचाई टैंकों/गूल के निर्माण तकनीकी रुप से सही हों इसके लिये सिंचाई विभाग/ लघु सिंचाई विभाग के डिजायन/ड्राइंग पर आगणन तैयार करते हुये नियमानुसार सक्षम अधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त कराया जायेगा।
19. वितरित किये गये निवेशों एवं अन्य सामग्री का कृषकवार विस्तृत विवरण संकलित कर निदेशालय को उपलब्ध कराया जायेगा।
20. संपादित कार्यों का शत प्रतिशत सत्यापन कराया जायेगा।
21. इस योजना के संपादित कार्यक्रमों का मूल्यांकन भी यथाशीघ्र कराया जायेगा।
22. कार्यक्रम के स्थलीय छायाचित्र एवं सफलता की कहानी का प्रलेखन करते हुये विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित किये जायेगें।
23. भौतिक वित्तीय लक्ष्यों में यदि कोई परिवर्तन अपेक्षित होगा अथवा कार्य योजना में उल्लिखित कार्यक्रमों से भिन्न कोई मांग उत्पन्न होती है तो उसके लिये औचित्यपूर्ण प्रस्ताव उपलब्ध कराये जाने पर निदेशालय स्तर से कार्यमदों में परिवर्तन किया जा सकेगा।

24. योजना शत–प्रतिशत अनुदानित है तथापि, कार्यों के अनुरक्षण/रखरखाव हेतु कम से कम 10 प्रतिशत कृषक अंश सुनिश्चित किया जायेगा।

25. योजनान्तर्गत निर्धारित मदो मे व्यय प्रदेश मे विभिन्न विभागो द्वारा संचालित केन्द्रपोषित योजनाओ मे प्रति इकाई निर्धारित अधिकतम दर/मूल्य के अन्दर ही करना सुनिश्चित करें। जिस मद मे दर उपलब्ध न हो तो न्यूनतम बाजार भाव (Market Rate) के आधार पर किया जायें।

कार्य मदें–

1. **धान्य, दलहन, तिलहन बीजों के मिनिकिटों का वितरण–** मृदा एवं जलवायु के अनुसार फसलों की उपयुक्तता को संज्ञान में लेते हुये उन्नत प्रजाति के बीजों के मिनिकिट किसानों को निशुल्क वितरित किये जायेंगे। मिनिकिट वितरण के संबंध में दो बातों का ध्यान रखा जायेगा (1) अन्य किसी योजना के अंतर्गत किसान को उपलब्ध होने वाली बीज की मात्रा (2) किसान द्वारा जुताई के लिये तैयार की गयी कुल भूमि (स्वयं की एवं बटाई की) के लिये आवश्यक बीज की मात्रा। मिनिकिट दस वर्ष के अन्तर्गत अधिसूचित फसल प्रजातियों की नवीनतम प्रजातियों के ही वितरित किये जायें।

2. **सब्जी बीज मिनिकिट वितरण–** सब्जी उत्पादन के इच्छुक किसानों को सब्जी बीज मिनिकिट दिये जायेंगे जिसके लिये उद्यान विभाग में प्रचलित मानकों को ध्यान में रखा जायेगा। मिनिकिट दस वर्ष के अन्तर्गत अधिसूचित फसल प्रजातियों की नवीनतम प्रजातियों के ही वितरित किये जायें।

3. **पौध सुरक्षा कार्यक्रम–** इस कार्यमद के अंतर्गत पौध सुरक्षा के लिये उपयोग में आने वाले कीटनाशी रसायनों/जैव रसायनों के साथ–साथ सूक्ष्म तत्वों का वितरण, लाइट ट्रेप वितरण आदि भी सम्मिलित है, जिनके उपयोग से फसलों की उत्पादकता में वृद्धि हो अथवा फसलों को कीट एवं रोगों से सुरक्षा दी जा सके। केवल संस्तुत रसायनों का ही वितरण किया जायेगा। सूक्ष्म पोषक तत्वों का वितरण समय–समय पर कराये गये मृदा परीक्षण की संस्तुतियों के आधार पर किया जायेगा।

4. **कृषि यंत्र वितरण–** थ्रेसर, पावर टिलर, पावर वीडर, जल पंप जैसे अधिक लागत वाले यंत्रों को यदि विगत 3 वर्षो के दौरान वितरित न किया गया हो तो, समूह की आवश्यकतानुसार दिया जा सकेगा, तथा समूह से अनुबन्ध करा लिया जायेगा कि वे यंत्र का सामूहिक उपयोग करेंगे तथा उसके रखरखाव की व्यवस्था भी सामूहिक रुप से करेंगे। बड़े कृषि यंत्र व्यक्तिगत रूप से कृषकों को कदापि देय नहीं होगें। पर्वतीय छोटे यंत्र वितरण भी योजना में सम्मिलित हैं। वितरण से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि किसान को पूर्व में इस प्रकार की सुविधा दी गयी है अथवा नहीं। जिन किसानों को सुविधा उपलब्ध नहीं हुयी है, उनको सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुये वितरण की कार्यवाही की जायेगी। शेष प्रस्तावों के संबंध में विवेकपूर्ण निर्णय लिया जायेगा।

5. **मृदा एवं जल संरक्षण कार्यक्रम–** प्राकृतिक संसाधन प्रबन्धन (NRM) के माध्यम से कृषि भूमि एवं जलवायिक संरक्षण एवं संवर्धन हेतु चैक डैम, सुरक्षा दीवार (बैस्ट वॉल, चैक वॉल) आदि के द्वारा भूमि की धारक क्षमता बढ़ाने हेतु प्रयास किया जायेगा।

6. **छतवर्षा जल संभरण टेंकों का निर्माण** – इसके अंतर्गत छोटे टेंकों का निर्माण कराया जायेगा, तथा प्लास्टिक टैंक का वितरण किया जायेगा ताकि वर्षा जल का समुचित उपयोग हो सके। यह सुविधा चयनित ग्राम के सभी किसान परिवारों के लिये उपलब्ध रहेगी।

समूह के उपयोग में आने वाले कृषि मशीनरी अथवा विशिष्ट सामग्री के वितरण के संबंध में अनुबन्ध पत्र

अनुबन्ध पत्र

हम निम्नांकित ग्रामवासी ग्राम.....विकासखण्ड.....जनपद ..... श्री.....पुत्र श्री .....को समूह का अध्यक्ष मनोनीत करते हैं, जो समूह की ओर से कृषि विभाग द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाली मशीनरी/सामग्री जिसका विवरण निम्नवत् है, प्राप्त करेंगे तथा समूह के हित में इसके संचालन की व्यवस्था सुनिश्चित करायेंगे।

कृषि यंत्र/मशीनरी अथवा विशिष्ट सामग्री का नाम (मात्रा/संख्या सहित)–.....

हम यह भी सुनिश्चित करते हैं कि कृषि विभाग से प्राप्त होने वाली मशीनरी/सामग्री का उपयोग सामूहिक हित में किया जायेगा। सभी सदस्य परिवार इसका लाभ उठायेंगे, जिसमें कोई विवाद नहीं होगा। प्राप्त मशीनरी सामग्री का रखरखाव समूह के सदस्यों के द्वारा मिलकर किया जायेगा तथा इसका विक्रय नहीं किया जायेगा।

समूह के सदस्यों के नाम एवं हस्ताक्षर–

क्र0सं	नाम	हस्ताक्षर	क्र0सं0	नाम	हस्ताक्षर
1			2		
3			4		
5			6		
7			8		
9			10		
11			12		

हस्ताक्षर अध्यक्ष.....

न्यायं पंचायत प्रभारी की संस्तुति –

उपरोक्त अनुबन्ध मेरे समक्ष लाभार्थियों द्वारा भरा गया है, मेरे द्वारा समूह के सदस्यों के साथ बैठक कर यह सुनिश्चित किया गया है कि निम्नांकित यंत्र/उपकरण/सामग्री का उपयोग कृषकों के लिये बहुत लाभकारी होगा। समूह के सदस्य मशीनरी/सामग्री का सदुपयोग करने के लिये बचनबद्ध हैं। मैं समूह को मशीनरी /उपकरण के निशुल्क वितरण की संस्तुति करता हूँ।

न्याय पंचायत प्रभारी का नाम पदनाम एवं
हस्ताक्षर दिनांक सहित

विकाखण्ड प्रभारी की संस्तुति–

कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी की टिप्पणी/ स्वीकृति–

टिप्पणी– यह अनुबन्ध पत्र संबंधित कृषि एवं भूमि संरक्षण इकाई के स्तर पर गार्ड पत्रावली में सुरक्षित रखा जायेगा।

अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों का विकास कार्यक्रम 2019–20 के प्रस्तावित ग्रामों की सूची

क्र0सं0	जनपद		इकाई का नाम	विकासखण्ड का नाम	गाँव का नाम	कार्ययोजना में प्रस्तावित धनराशि (लाख रू0 में)
वर्ष 2019–20						
1	अल्मोड़ा	1	रानीखेत	ताड़ीखेत	कालनू	5.80
		2		द्वाराहाट	मटैला	4.66
		3	अल्मोड़ा	ताकुला	झिझाड़	9.54
	योग		2	3	3	**20.00**
2	बागेश्वर	1	बागेश्वर	गरुड़	दुधिला	5.06
		2		कपकोट	चौड़ा	4.85
		3		बागेश्वर	भटखोला चैक किमखोली	5.09
	योग		1	3	3	**15.00**
3	चम्पावत	1	लोहाघाट	बाराकोट	कामाज्यूला	5.65
		2		पाटी	देवीधुरा	4.35
	योग		1	2	2	**10.00**
4	नैनीताल	1	हल्द्वानी	रामनगर	गांधीनगर	7.90
		2	धारी	धारी	हरिनगर अक्सौड़ा	5.45
				रामगढ़	गहना	6.35
		3	भीमताल	भीमताल	गहलना	7.65
					हरिनगर	7.65
	योग		3	4	5	**35.00**
5	पिथौरागढ़	1	पिथौरागढ़	डुगरीरवाल	विण	9.8
		2	बेरीनाग	गंगोलीहाट	बलीगाव	5.20
	योग		2	2	2	**15.00**
6	ऊधमसिंहनगर	1	रूद्रपुर	खटीमा	खिलड़िया	7.90
		2	काशीपुर	जसपुर	गुलरभोजी	7.10
	योग		2	2	2	**15.00**
	कुमाऊं मण्डल योग			**16**	**17**	**110.00**

क्र0सं0	जनपद		इकाई का नाम	विकासखण्ड का नाम	गाँव का नाम	कार्ययोजना में प्रस्तावित धनराशि (लाख रू0 में)
7	चमोली	1	कर्णप्रयाग	गैरसैंण	खेती	5.19
		2	गोपेश्वर	जोशीमठ	हेलंग	3.00
		3	थराली	नारायणबगड	जूडा	1.81
	योग		3	3	3	**10.00**
8	देहरादून	1	सहसपुर	विकासनगर	तोली	9.50
		2	रायपुर	रायपुर	कोटीमयचक	10.50
	योग		2	2	2	**20.00**
9	हरिद्वार	1	रूड़की	रूड़की	मूलदासपुर माजरा	4.58
		2			नगलाचीना	4.95
		3	हरिद्वार	खानपुर	शेरपुर बेला	5.24
		4		लक्सर	ब्रह्मपुर	5.23
	योग		2	3	4	**20.00**
10	पौड़ी	1	सतपुली	जयहरीखाल	जोगीयाण	5.63
		2	पौड़ी	कोट	मसाणगांव तोडख्या	9.85
				कल्जीखाल	सकनोली	8.17
		3	कोटद्वार	यमकेश्वर	बेरागड़	5.95
		4	धुमाकोट	रिखणीखाल	सिमलसैंण / वल्ली	5.34
		5		बीरोंखाल	मेलधार	10.88
		6		नैनीडांडा	बखरोटी	4.18
	योग		4	7	7	**50.00**
11	रुद्रप्रयाग	1	रूद्रप्रयाग	अगस्तमुनि	कान्दी	4.82
		2		जखोली	शीशौं	5.18
	योग		1	2	2	**10.00**
12	टिहरी	1	नई टिहरी	भिलंगना	थाती डोमना	2.70
		2		जाखणीधार	कफलोग	2.00
		3	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	रौन्देली	1.85
		4	चम्बा	प्रतापनगर	पोखरी	2.65
		5		चम्बा	थान बेमर	2.90
		6	कीर्तिनगर	कीर्तिनगर	बडोन	2.90
	योग		4	6	6	**15.00**
13	उत्तरकाशी	1	बडकोट	चिन्यालीसौड़	टंडोल	1.68
		2		नौगांव	छमरोटा	3.16
		3	उत्तरकाशी	डुण्डा	भराणगांव	1.51
		4	मोरी	पुरोला	डुकरा	4.55
		5		मोरी	देवरा	4.10
	योग		3	5	5	**15.00**
	गढ़वाल मण्डल योग			**28**	**29**	**140.00**
	उत्तराखण्ड योग			**44**	**46**	**250.00**

अनुसूचित जनजाति बाहुल्य ग्रामों का विकास कार्यक्रम 2019–20 के अन्तर्गत प्रस्तावित ग्रामों की सूची

क्र0 स0	जनपद		इकाई का नाम	विकासखण्ड का नाम	गाँव का नाम	कार्ययोजना में प्रस्तावित धनराशि (लाख रू0 में)
					वर्ष 2019–20	
1	ऊधमसिंहनगर	1	काशीपुर	बाजपुर	खम्बारी	6.40
				गदरपुर	रजपुरा	14.80
		2	रुद्रपुर	खटीमा	जादौपुर	9.10
				सितारगंज	सुनखरीकला	14.00
योग उधमसिंह नगर			**2**	**4**	**4**	**44.30**
2	नैनीताल	1	हल्द्वानी	हल्द्वानी	बेरिया / मलितपुर	20.00
		2			राजपुर	15.00
योग नैनीताल			**1**	**1**	**2**	**35.00**
3	पिथौरागढ़	1	डीडीहाट	मुनस्यारी	चुलकोट	20.25
योग पिथौरागढ़			**1**	**1**	**1**	**20.25**
4	देहरादून	1	कालसी	कालसी	बिरमौऊ	13.30
		2	चकराता	चकराता	मेहरावना	12.15
योग देहरादून				**2**	**2**	**25.45**
5	चमोली	1	गोपेश्वर	जोशीमठ	कैलाशपुर	7.05
					महरगांव	5.15
					कोषा	6.45
				घाट	पूर्णकिला	6.35
योग चमोली				**2**	**4**	**25.00**
कुल योग (5 जनपद)				**10**	**13**	**150.00**